निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 110/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. राकेश पुत्र स्व॰ श्री जयराम जाति जाट निवासी ग्राम अचलपुरा गोदारा की ढाणी, बडी कोठी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. राकेश कालरा पुत्र श्री बीरबल कालरा
2. उद्भव कालरा पुत्र श्री राकेश कालरा
3. यश कालरा पुत्र श्री राकेश कालरा
   समस्त जाति पंजाबी, निवासी प्लाट, नं॰ 3/57, एस एफ एस, मानसरोवर, जयपुर।
4. सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2019 ब उनवानी राकेश व अन्य बनाम राकेश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर

निर्णय दिनांक 04.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 53/2019 ब उनवानी राकेश व अन्य बनाम राकेश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी संख्या एक पेशे से डाक्टर है जो कि काफी धनबल एवं उंची राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 4 के यहां जिस दिन तारीख पेशी पर प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुआ उस दिन अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 4 के चैम्बर में कई मर्तबा देखा गया। अप्रार्थी संख्या 4 के यहां प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुये उसके पश्चात से ही अप्रार्थी संख्या 4 के यहां पत्रावली में 10–12 दिन से अधिक की तारीख पेशी नहीं दी जा रही है एवं पत्रावली में नजदीक नजदीक तारीख पेशियां दी जा रही जो पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव में आकर दी जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या एक के अलावा अन्य व्यक्ति जो पत्रावली मे पक्षकार नही है वह प्रत्येक तारीख पेशी पर आते है एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन के अधिवक्ता के साथ वह पत्रावली में बोलते है एवं छोटी छोटी तारीख पेशी की मांग करते है। अप्रार्थी संख्या एक की पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान

पहचान है एवं प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक के कई नुमायन्दों से यह कहते हुये सुना है कि डाक्टर साहब से पीठासीन अधिकारी ने पहले ही उनके पक्ष में दावा डिक्री करने के लिये बोल रखा है एवं यह कह रखा है कि विपक्षी पक्ष कितना ही कुछ कर ले फैसला तो पीठासीन अधिकारी को करना है एवं वह डाक्टर साहब के पक्ष में फैसला करके रहेंगे। अप्रार्थी संख्या चार के यहां पत्रावली की कार्यवाही एवं अप्रार्थी संख्या एक व उनके नुमायन्दों की हरकतों से ऐसा जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उनके पूरे पूरे प्रभाव में है एवं प्रार्थी व उनके अधिवक्ता कितनी ही अच्छी पैरवी कर ले वह अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में ही निर्णय करेंगे। हाल ही दिनांक 04.12.2020 को पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया, तो उस समय अप्रार्थी संख्या एक का नुमायंदा न्यायालय कक्ष में खड़ा हुआ था जिसका प्रार्थी नाम नही जानता है। वह न्यायलय में जोर से बोला कि अगर यह साक्ष्य पेश नही करते है तो इनकी साक्ष्य बन्द कर दो। इस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि आप इस फाइल में कौन हो जो बोल रहे हो। इस पर उन्होंने कहा कि वह तो मै आपको बाद में बताउगा कि मै इस फाईल में कौन हूं । उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी की कार्य शैली एवं अप्रार्थी संख्या एक व उसके नुमायंदों की पीठासीन अधिकारी के चैम्बर मे जाकर बैठने से ऐसा लगता है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके नुमायंदों के पूर्ण प्रभाव में है एवं प्रार्थी को भय है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या एक के प्रभाव में आकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय पारित करेंगे। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 4 से न्याय की कोई आशा नही है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी पर पत्रावली में 10–12 दिन की तारीख पेशी दिये जाने का आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी के लिए नियत होना सामने आया है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारान की सुविधानुसार 10–12 दिन की तारीख दिया जाना पर्याप्त है। प्रार्थी सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का कोई ठोस कारण बताने में असफल रहे है। इसलिए प्रार्थीगण के कथन को बल नहीं मिलता है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने से परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. सहायक कलक्टर बस्सी उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

6. निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

4/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर